Ex.P.-474

कथन – दिनेश कुमार चन्द्रवंशी

थाना	–	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर
अपराध कमांक	–	09 / 2015
धारा	–	13(1) डी, 13(2) पी0सी0 एक्ट 1988; 109, 120 बी भा0द0वि0
नाम व पिता का नाम	–	दिनेश कुमार चन्द्रवंशी पिता स्व. श्री बिहारी लाल चन्द्रवंशी
उम्र	–	55 वर्ष
पता	–	मकान नं. जूनियर एमआईजी–65 सेक्टर–3 दीनदयाल उपाध्याय नगर रायपुर (छ0ग0)
मोबाईल नंबर	–	98263–73565
व्यवसाय	–	लेखाधिकारी नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय अवंति विहार हितवाद परिसर रायपुर (छ.ग.)

——00——

मैं दिनेश कुमार चन्द्रवंशी पूछे जाने पर बता रहा हूं कि मैं लेखाधिकारी के पद पर नागरिक आपूर्ति निगम, मुख्यालय, रायपुर में लगभग 02 वर्षों से पदस्थ हूं। इसकें पूर्व उप लेखा अधिकारी के पद पर मुख्यालय में ही पदस्थ था। मेरा शासकीय मोबाईल नंबर नहीं है, मेरा पर्सनल मोबाईल नंबर 98263–73565 है, यह मेरे नाम से ही है।

आज मुझे आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो कार्यालय में मेरे मोबाईल नंबर 98263–73565 से श्री **आर.एन. सिंह जिला प्रबंधक**, नागरिक आपूर्ति निगम, सूरजपुर से उनके पर्सनल मोबाईल नंबर 98261–71941 पर हुई बात का कॉल ट्रान्सक्रिप्शन दिखाया गया एवं टेप की हुई आवाज को सुनाया गया। ट्रांसक्रिप्शन पढ़ कर एवं रिकार्ड की हुई बातें सुनकर वार्तालाप के संबंध में बता रहा हूं कि :–

दिनांक 02.02.2015 के 13:19:54 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 02.02.2015 के 13:21:38 बजे का कॉल मेरे मोबाईल नंबर से **श्री आर.एन. सिंह** से उनके पर्सनल मोबाईल नंबर पर हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप में आर.एन. सिंह द्वारा मुझसे पूछा गया था कि इस वर्ष परिवहन का टेंडर निकलवा रहे है क्या! और यह भी कहा था कि कोई ठेकेदार द्वार प्रदाय का काम पुरानी दर पर ही इस वित्तीय वर्ष में भी परिवहन कार्य करने के लिये तैयार है तो अपन टेंडर क्यो करवायें। सूरजपुर के दो–तीन ब्लॉक के ठेकेदार टेंडर नहीं करवाना चाहते, पुरानी दर पर काम करने को तैयार है। इस पर मेरे द्वारा आर.एन. सिंह को कहा गया था कि परिवहन ठेकेदारों से लिखवा कर ले लो और अपनी अनुशंसा के साथ ई–मेल कर देना। इस पर आर.एन. सिंह द्वारा कहा गया था कि मैं ठेकेदारो से लिखवा कर भिजवा देता हूं, आप टेंडर मत निकालना, आपका खर्चा 10,000रू. आपको मिल जायेगा। माह फरवरी 2015 में परिवहन टेंडर की प्रकिया चल रही थी, आर.एन. सिंह द्वारा यह बताने पर कि वर्तमान परिवहन ठेकेदार पुरानी दर पर काम करने को तैयार है तो उनसे लिखवा कर ले लो और अपनी अनुशंसा संहित भेज देना क्योंकि अगर इस वित्तीय वर्ष परिवहन टेंडर प्रकिया में इनके द्वारा भी भाग लिया

जाता है और वे रेट बढ़ाकर देते है तो उनसे यह निगोसियेशन किया जाता है कि उनके द्वारा पूर्व में पुरानी दर पर कार्य करने की सहमति दी गई थी तो अब अपना दर बढ़ाकर क्यो दिया गया और इसी आधार पर उनसे निगोसियेशन कर दर कम कराया जा सकता है। आर.एन. सिंह से मुझे कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है और परिवहन का टेंडर मार्च 2015 में आमंत्रित किया गया है। यही मेरा कथन है।

दिनांक 04.04.2015

(एस0डी0 देवस्थले)
निरीक्षक
आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो,
रायपुर, छत्तीसगढ